

URSBY

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 8 (13)(3)ग्रावि/अनु-8/SPMRM/बैठक/पार्ट-1/2017

जयपुर दिनांक : 17/6/19


--:बैठक सूचना--:

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन SPMRM योजना के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फेज में चयनित किये गये क्लस्टर की डीपीआर के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 19.06.2019 को प्रातः 10.00 बजे से इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर में बैठक आयोजित की जा रही है।

उक्त बैठक में योजना प्रभारी/ अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद्, संबंधित क्लस्टर की एजेंडावार रिपोर्ट के साथ आयोजित की जाने वाली बैठक में भाग लेंगे।


एजेंडा बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. संबंधित क्लस्टर की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट ।
(पत्रांक एफ 8(13)(15)ग्रावि/अनु-8/SPMRM/MPR/2018, दिनांक 11.06.2019 के अनुसार)
2. प्रथम फेज में सीजीएफ राशि की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी.)
(पत्रांक एफ 8(13)(16)ग्रावि/अनु-8/SPMRM/UC/2018, दिनांक 04.06.2019 के अनुसार)
3. सीजीएफ के कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मय सूची एवं कनवर्जेस विवरण।
(पत्रांक एफ 8(13)(14)ग्रावि/अनु-8/SPMRM/फेज-1/सामान्य/2017, दिनांक 22.03.2019 एवं 26.03.2019 के अनुसार)
4. प्रथम फेज के क्लस्टरर्स में सीजीएफ/कनवर्जेस से करवाये गये विशेष इनोवेटिव कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मय फोटो (पीपीटी फॉर्मेट)


(के.के. शर्मा) 17/6/19
अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (ग्राविप्र) जिला परिषद् भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाडमेर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, जयपुर, डूंगरपुर एवं हनुमानगढ़ को भेज कर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारी को उक्त बैठक भाग लेने हेतु निर्देशित करावे।
4. अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) जिला परिषद् भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाडमेर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जालौर, बांसवाडा, प्रतापगढ़, जयपुर, डूंगरपुर एवं हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करे।
5. ग्रामीण प्रबंधक पेशेवर एसपीएमआरएम जिला परिषद् अलवर, उदयपुर एवं जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि बैठक में संबंधित क्लस्टर की प्रगति/सूचना के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करे।
6. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.